

[2024] 5 एस.सी.आर. 36 : 2024 आईएनएससी 343

शिवानी त्यागी

बनाम

यूपी राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या – 1957-1961/2024)

05 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति सी.टी. रवीकुमार एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल.]

विचारार्थ मुद्दा

मामला एसिड हमले के एक मामले में दोषी व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने और परिणामस्वरूप उनकी जमानत बढ़ाए जाने से संबंधित है।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – एस. 389 – अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन, और जमानत पर रिहा करना – आरोपी व्यक्तियों के हाथों पीड़िता पर एसिड हमला – पीड़िता 30-40 प्रतिशत जल गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया – आरोपी व्यक्तियों को धारा 307/149 और 326 ए/149 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई – उच्च न्यायालय ने सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत पर बढ़ा दिया – हस्तक्षेप:

अवधारित किया गया: (द्वारा: न्यायमूर्ति सी. टी. रवीकुमार,) केवल एक विशेष अवधि के लिए कैद की सजा भुगतने का तथ्य और मामलों के निपटान में देरी की संभावना, ऐसे मामले में जहां आजीवन कारावास लगाया गया है, धारा के तहत शक्ति के आह्वान का कारण नहीं हो सकता है। 389 प्रासंगिक कारकों का उल्लेख किए बिना – प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणों के आधार पर और दिए गए मापदंडों के आधार पर की जानी चाहिए – एसिड हमला स्थायी रूप से विरूपण के कारण एक सभ्य मानव जीवन जीने के लिए पीड़िता के बुनियादी मानव अधिकार को पूरी तरह से छीन सकता है – आक्षेपित निर्णय केवल दिमाग के गैर-प्रयोग और धारा के तहत शक्ति के आह्वान के लिए आवश्यक प्रासंगिक कारकों पर गैर-विचार को दर्शाता है। 389 इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले में एक युवा महिला पर एसिड हमला शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी विकृति हो गई थी – उच्च न्यायालय ने दोषियों की ओर से की गई पेशकश को ध्यान में रखा कि वे रुपये का भुगतान करेंगे। 25 लाख, और यह सबूत है कि पीड़ित ने रुपये की राशि खर्च की थी। कारावास की अवधि के अलावा उसके इलाज के लिए 21 लाख रुपये और अपील पर विचार करने में होने वाली देरी – शामिल अपराध की गंभीर प्रकृति को धारा के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अन्य प्रासंगिक मापदंडों के अलावा ध्यान में नहीं रखा गया था। 389 – इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाता है, और आरोपी को दी गई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत रद्द कर दी जाती है [पैरा 9-12] – आयोजित: (प्रति राजेश बिंदल, जे) (पूरक) सजा के सिद्धांतों में से एक, आनुपातिकता के कारण, यदि उचित सजा नहीं दी जाती है या यदि, किसी जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, अदालत वैध कारणों के बिना सजा को निलंबित करने का निर्देश देती है, तो जिस उद्देश्य के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली मौजूद है वह विफल हो जाएगा – उच्च न्यायालय ने निलंबन का निर्देश दिया पीड़िता को 25 लाख रुपये देने पर आरोपियों को सजा – पीड़िता द्वारा राशि स्वीकार नहीं की गई और दोषी जेल से रिहा नहीं हो सके – साथ ही इलाज पर 21 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद पीड़िता अभी तक ठीक नहीं हुई है – अदालत की कमजोरी इस तथ्य से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने पहले के आदेश को संशोधित किया और नोट किया कि एक डिमांड ड्राफ्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है, आरोपी को जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए – आदेश पारित किया गया सुधार आवेदन में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि जमानत देने या सजा को निलंबित करने के लिए निर्धारित मापदंडों पर कोई विचार किया गया था, इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने देखा और निर्देश दिया कि दोषियों ने निलंबन की मंजूरी के लिए पीड़ित को मुआवजा देने की पेशकश की है। सजा, जिसे जब उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उसे अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया – यह एक तरह से दोषियों द्वारा पीड़िता को दी गई "ब्लड मनी" थी, जिसके लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्वीकार्यता नहीं है [पैरा 6] , 7, 13]

उद्धृत वाद सूची

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार के निर्णय में

भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम का राज्य गुजरात [1999] 3 एससीआर 545: (1999) 4 एससीसी 421; किशोरी लाल बनाम रूपा एवं अन्य [2004] Supp. 4 SCR 628 : (2004) 7 एससीसी 638; अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद और अन्य. [2005] पूरक। 3 एससीआर 287: (2005) 7 एससीसी 326; खिलारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। [2009] 38 [2024] 5 एस.सी.आर. डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 1 एससीआर 543 : (2009) 4 एससीसी 23; हरियाणा राज्य बनाम हसमत [2004] पूरक। 3 एससीआर 132: (2004) 6 एससीसी 175 – संदर्भित।

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के फैसले में

परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ और अन्य [2015] 12 एससीआर 607: (2016) 3 एससीसी 571: 2015 आईएनएससी 893; सुरेश चंद्र जना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2017] 13 एससीआर 1: (2017) 16 एससीसी 466: 2017 आईएनएससी 1296; हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विजय कुमार उर्फ पप्पू और अन्य (2019) 5 एससीसी 373 : 2019 आईएनएससी 377; दीपक यादव बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य [2022] 4 एससीआर 1: (2022) 8 एससीसी 559 : 2022 आईएनएससी 610; ज्ञान सिंह बनाम राज्य पंजाब और अन्य [2012] 8 एससीआर 753: (2012) 10 एससीसी 303: 2012 आईएनएससी 419; झारखण्ड राज्य बनाम मोहम्मद सुफियान एसएलपी (सीआरएल) नंबर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1960 सन 2022 का निर्णय दिया गया 16.01.2024 को; साहब आलम उर्फ गुड्डु बनाम राज्य झारखंड और दूसरा (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1874 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860.

कीवर्ड की सूची

एसिड अटैक का मामला; सजा का निलंबन; आजीवन कारावास; जमानत पर इजाफ़ा; चेहरे का विरूपण; कारावास का कष्ट; देरी; सार्वजनिक हित और सामाजिक सुरक्षा; युवा महिला की स्थायी विकृति; सजा के सिद्धांत; फौजदारी कानून; आनुपातिकता; अपराधिक न्याय प्रणाली; मुआवज़ा; खून का पैसा.

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1957– 1961 सन् 2024

सीआरएल संख्या 2467, 996, 801, 1155 और 467 सन् 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.12.2023 से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता – निरंजन साहू

प्रत्यर्थियों के लिये अधिवक्ता विनय नवारे, सीनियर. एडवोकेट, रजत सिंह, दिव्यांशु सहाय, सार्थक चंद्रा, अखंड प्रताप सिंह चौहान, अनिल वर्मा, तुंगेश, नागेंद्र कसाना, राजेश राठौड़, कु. पलक मुंजाल, आदित्य शर्मा, अरुण कुमार अरुणाचल, सलाहकार।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार,

छुट्टी दी गई.

1. इन क्विंटपलेट अपीलों में एसिड हमले की पीड़िता दोषी व्यक्तियों, निजी उत्तरदाताओं की आजीवन कारावास की सजा के निलंबन और परिणामस्वरूप उन्हें जमानत पर बढ़ाए जाने की मांग करती है।
2. उपरोक्त अपील में उसी अपीलार्थी पीड़ित की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को, सामान्य प्रथम प्रतिवादी – उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को तथा निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया।
3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (संक्षेप में "सीआरपीसी") दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन के निलंबन और अपीलकर्ता(ओं) को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। उक्त प्रावधान लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने का आदेश देता है जिससे यह निष्कर्ष निकले कि दोषी सजा के निलंबन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और परिणामस्वरूप जमानत पर रिहाई पाने के हकदार हैं। उक्त आवश्यकता इस प्रकार विधायी इरादे को इंगित करती है कि अपीलीय न्यायालय धारा 389, सीआर के तहत शक्ति का उपयोग कर रहा है। पीसी को मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसा मूल्यांकन आदेश में प्रतिबिंबित होना चाहिए।

4. हम सीआरपीसी की धारा 389 से संबंधित कुछ प्रासंगिक निर्णयों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। पीसी. किसी अपराध की सजा के लिए अल्पकालिक कारावास के मामले में, सजा का निलंबन सामान्य नियम है और इसकी अस्वीकृति अपवाद है। (भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य 1 में निर्णय देखें)। हालाँकि, हमारा सुविचारित विचार है कि गंभीर अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए जब धारा 389 के तहत शक्ति का प्रयोग आमंत्रित किया जाता है। इस न्यायालय ने किशोरी लाल बनाम रूपा एवं अन्य 2 के फैसले में पैराग्राफ 4 और 5 में इस प्रकार कहा:—

“4. संहिता की धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निष्पादन को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है। जमानत और सजा के निलंबन के बीच अंतर है। धारा 389 की आवश्यक सामग्रियों में से एक यह है कि अपीलीय न्यायालय को सजा के निष्पादन को निलंबित करने का आदेश देने या जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है, उसे लिखित रूप में कारण दर्ज करने की आवश्यकता है। यदि वह कारावास में है, तो उक्त न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानत पर या अपने बांड पर रिहा कर दिया जाए। कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सजा को निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने वाला आदेश नियमित मामले के रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए।

5. अपीलीय न्यायालय मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और इस निष्कर्ष के लिए कारण दर्ज करने के लिए बाध्य है कि मामले में सजा के निष्पादन को निलंबित करने और जमानत देने की आवश्यकता है। मौजूदा मामले में, सजा को निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय ने जिस एकमात्र कारक पर विचार किया है, वह पिछली अवधि के दौरान स्वतंत्रता के दुरुपयोग के आरोप का अभाव है, जब आरोपी—प्रतिवादी जमानत पर थे।

5. अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद और अन्य 3 के फैसले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 7 और 8 में इस प्रकार कहा: —

“7. सरसरी तौर पर देखने पर भी उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। यद्यपि जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय न्यायालय को साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए, फिर भी जमानत आवेदन से निपटने वाले न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला है। , लेकिन मामले की खूबियों का विस्तृत अन्वेषण आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है, न कि किसी सामान्य मामले के रूप में।

8. प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है , आदेश में कारण बताने की आवश्यकता है, खासकर जहां किसी आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। जमानत के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:

1. दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति;
2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका;
3. आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

ऐसे कारणों का कोई भी आदेश दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है जैसा कि इस न्यायालय ने राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एससीसी 598, पूरन बनाम रामबिलास (2001) 6 एससीसी 338 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम में नोट किया था। राजेश रंजन (2004) 7 एससीसी 528।”

6. किशोरी लास के मामले (सुप्रा) और अनवरी बेगम के मामले (सुप्रा) के फैसलों में उपरोक्त पैराग्राफों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने खिलारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 4 के फैसले में सजा को निलंबित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप किया। और दिमाग का इस्तेमाल न करने और संबंधित पहलुओं पर विचार न करने पर जमानत दे दी जाती है।

7. धारा 389 के तहत शक्ति के आह्वान के लिए सिद्धांतों और मापदंडों को लागू करना। पीसी, निर्णयों से पता चला, जैसा कि ऊपर दिया गया है, हमें अपीलकर्ता पीड़ित द्वारा लगाए गए आदेशों के खिलाफ चुनौती की स्थिरता पर विचार करना होगा। उस संबंध में, इन अपीलों पर विचार करने की आवश्यकता को सख्ती से सीमित करते हुए, मामले में शामिल तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। अपील में निजी उत्तरदाताओं, जिनकी संख्या पाँच थी, को आईपीसी की धारा 307/149 और 326A/149 सहित अपराधों का दोषी पाते हुए दोषी ठहराया गया था। उस समय अपीलकर्ता-पीड़िता की उम्र लगभग 31 वर्ष थी और इस घटना में उस पर सल्फ्यूरिक एसिड से हमला किया गया और उसका शरीर 30 से 40 प्रतिशत तक जल गया था। पीडब्लू-6, एक्सट.ए 5 के साथ डॉ. उत्तम जैन ने खुलासा किया कि उसके चेहरे, छाती और दोनों हाथों पर गहरी जलन हुई थी और उस पर लगी चोटें गंभीर प्रकृति की थीं।

8. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि पार्टी के उत्तरदाताओं द्वारा उनकी सजा के खिलाफ अपील की योग्यता के संबंध में, हमें यह नहीं समझा जाएगा कि हमने कोई टिप्पणी की है या कोई टिप्पणी की है क्योंकि यह लंबित अपीलों में अपनी योग्यता के आधार पर विचार करने का मामला है। .

9. हमने पहले ही सीआरपीसी की धारा 389 के तहत आदेश का उल्लेख किया है कि उक्त प्रावधान को लागू करते हुए पारित आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण प्रतिबिंबित होना चाहिए कि दोषी अपनी सजा को निलंबित करने और परिणामस्वरूप जमानत पर रिहाई के हकदार हैं। हरियाणा राज्य बनाम हसमत 5 के फैसले में, इस न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़ी सजा के खिलाफ अपील में सजा के निलंबन और जमानत देने की प्रार्थना पर संबंधित कारकों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है, यद्यपि विस्तृत रूप से नहीं। इसके अवलोकन पर, हमारी राय है कि किए गए अपराध की प्रकृति, उनके किए जाने का तरीका, अपराध की गंभीरता और दोषी को जमानत पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिहा करने की वांछनीयता जैसे कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। विचार सीआरपीसी की धारा 389 के तहत पारित परिणामी आदेश में प्रतिबिंबित होना चाहिए। यह बताना भी प्रासंगिक है कि एक विशेष अवधि के लिए कैद की सजा भुगतने का तथ्य, ऐसे मामले में जहां आजीवन कारावास लगाया गया है, प्रासंगिक कारकों का उल्लेख किए बिना सीआरपीसी की धारा 389 के तहत शक्ति के आह्वान का कारण नहीं हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों का निपटान, (विशेष रूप से उन मामलों में जहां गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है) कम समय के भीतर संख्या को देखते हुए संभव नहीं हो सकता है। लंबित मामलों की ऐसी परिस्थितियों में यदि यह कहा जाता है कि धारा 389, सीआरपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अन्य प्रासंगिक कारकों और मापदंडों की उपेक्षा की जा रही है। पीसी, एक विशेष अवधि के लिए देरी और कारावास की संभावना को सजा के निलंबन और एक दोषी को जमानत पर बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में लिया जा सकता है, फिर, लगभग हर ऐसे मामले में, उक्त शक्ति का अनुकूल आह्वान अपरिहार्य हो जाएगा। यह निश्चित रूप से विधायी मंशा नहीं हो सकती जैसा कि सीआरपीसी की धारा 389 की शब्दावली से देखा जा सकता है। ऐसी व्याख्या जनहित और सामाजिक सुरक्षा के भी विरुद्ध होगी। ऐसे मामलों में अपील पर प्राथमिकता देते हुए जहां सजा निलंबित हो, सुनवाई के मामले में या शीघ्र सुनवाई को संभव बनाने वाले ऐसे अन्य तरीकों को अपनाने का सहारा लिया जा सकता है। हमें यह नहीं समझा जाएगा कि अपील पर विचार करने में अत्यधिक देरी और लंबी कैद के बावजूद उक्त प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, हमारा विचार है कि प्रत्येक मामले की अपनी योग्यता के आधार पर और मापदंडों के आधार पर जांच की जानी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संबंधित अपीलकर्ता(ओं) पर लगाई गई सजा को अपील के लंबित रहने के दौरान निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं। अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त के अनुसार देखने और मानने के बाद, हमें आक्षेपित निर्णय को पढ़ने पर गहरा दुख हो रहा है, क्योंकि यह केवल दिमाग के गैर-प्रयोग और प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने को दर्शाता है, इस तथ्य के बावजूद कि मामला एक युवा महिला पर एसिड हमले से जुड़ा था। जिसके परिणामस्वरूप स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। मौजूदा मामले में, आक्षेपित आदेश की स्कैनिंग से पता चलेगा कि अदालत के सामने मुख्य रूप से दोषियों की ओर से की गई पेशकश थी कि वे रुपये का भुगतान करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 25 लाख, इस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़ित ने रुपये की राशि खर्च की थी। उसके इलाज के लिए 21 लाख रु. आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 10 से पता चलता है कि कारावास की अवधि के अलावा उक्त प्रस्ताव और अपील पर विचार करने में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए, लगाई गई सजा को निलंबित कर दिया गया और निजी उत्तरदाताओं को जमानत पर बढ़ा दिया गया। आदेश का पैराग्राफ 10 इस स्थिति को प्रकट करेगा और यह इस प्रकार है: -

“10. पक्षों के वकील को सुनने और अपीलकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश पर विचार करने के बाद, जो बचाव के अधिकार के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतिम निर्णय के समय निर्णय लिया जाएगा और योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामले में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा भुगतान की जा रही मुआवजे की राशि के अलावा, अपीलकर्ताओं ने रुपये की राशि का भुगतान करने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की पेशकश की है। पीड़िता को उसके चिकित्सा उपचार के लिए 25 लाख रुपये और लंबी हिरासत के साथ-साथ अपीलकर्ताओं के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अपील वर्ष 2021 से संबंधित है और निकट भविष्य में अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना नहीं है। भविष्य में, हम अपीलकर्ताओं की सजा को निलंबित करना उचित समझते हैं।"

11. हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित आदेश कानून की स्थापित स्थिति के आलोक में धारा 389 के तहत शक्ति के आह्वान के लिए आवश्यक प्रासंगिक कारकों पर विचार न करने और दिमाग का उपयोग न करने से संक्रमित है। एसिड हमले से स्थायी रूप से अपंगता के कारण पीड़िता से एक सभ्य मानव जीवन जीने का बुनियादी मानवाधिकार पूरी तरह से छिन सकता है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसे गंभीर अपराध से जुड़ी अपीलों में सभी मापदंडों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यहां तक कि विवादित आदेश पर सरसरी नजर डालने से भी पता चल जाएगा कि इसके तहत विचार अयोग्य तरीके से किया गया था। सीआरपीसी की धारा 389 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए अन्य प्रासंगिक मापदंडों के अलावा शामिल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा गया। पीसी.

12. ऐसी परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। चर्चा का नतीजा यह है कि निजी उत्तरदाताओं की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर बढ़ाने का आदेश हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। नतीजतन, विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप इन सभी अपीलों में निजी प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाती है। नतीजतन, अपीलकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेजने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। यह चार दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण करने में विफल रहने की स्थिति में, दोषी निजी उत्तरदाताओं को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और हिरासत में भेजा जाएगा।

13. उपरोक्तानुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

आदेश

Rajesh Bindal, J.

1. मैंने भाई सी.टी. द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत कारणों का अध्ययन किया है। रविकुमार, जे. जघन्य अपराधों में सजा के निलंबन के पहलू पर विस्तृत चर्चा की गई है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय ने एसिड हमले के मामले में उत्तरदाताओं की सजा को निलंबित करने का निर्देश दिया था, जो पीड़िता को जीवन भर परेशान करेगा। पीड़िता के चेहरे का विरूपण, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरों से स्पष्ट है, देखा भी नहीं जा सका।

2. यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को सुनने और पेपर बुक को देखने के बाद हमारी अंतरात्मा को झटका लगा। एक संक्षिप्त आदेश द्वारा हमने मामलों में अनुमति दे दी और उचित कारणों के आधार पर अपील की अनुमति दे दी। उत्तरदाताओं को 09.04.2024 को या उससे पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। वही नीचे निकाला गया है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“छुट्टी दी गई.

अपील की अनुमति है. अनुसरण करने के कारण.

उत्तरदाताओं-आजीवन दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष 9.4.2024 को या उससे पहले आत्मसमर्पण करना होगा। आत्मसमर्पण करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।”

2.1 मैं व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन कुछ और कारण जोड़ना चाहता हूं।

3. मुख्य आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वह यह है कि अभियुक्तों के वकील ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य में यह रिकॉर्ड पर आया था कि लगभग ₹ 21 लाख (बीस रुपये) उसके इलाज पर केवल एक लाख) खर्च किये गये क्योंकि उसका चेहरा खराब हो गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि के अपने फैसले में निर्देश दिया था कि पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत उसके इलाज के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। फिर, अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा सामूहिक रूप से यह तर्क दिया गया कि बचाव के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से और स्वेच्छा से ₹ 25 लाख (केवल पच्चीस लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने की पेशकश की, जो पीड़ित को दी जा सकती है। उसका चिकित्सा उपचार. राज्य के विद्वान वकील ने इस पर आपत्ति जताई। निजी उत्तरदाताओं, जो दोषी हैं, के वकील द्वारा की गई पेशकश पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा की गई पेशकश को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि, इसके अलावा, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाए। निजी उत्तरदाताओं ने उसके इलाज के लिए ₹ 25 लाख (केवल पच्चीस लाख रुपये) की राशि का भुगतान करने की पेशकश की है। उन्हें दी गई सजा निलंबित कर दी गई. यह भी देखा गया कि अपील की सुनवाई में कुछ समय लगने की संभावना है। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद 10 नीचे दिया गया है:

“10. पक्षों के वकील को सुनने और अपीलकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से की गई पेशकश पर विचार करने के बाद, जो बचाव के अधिकार के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अंतिम निर्णय के समय निर्णय लिया जाएगा और योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामले में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा भुगतान की जा रही मुआवजे की राशि के अलावा, अपीलकर्ताओं ने पीड़िता को उसके चिकित्सा उपचार के लिए और लंबी हिरासत के मद्देनजर ₹ 25 लाख की राशि का भुगतान करने की पेशकश की है। साथ ही अपीलकर्ताओं के पूर्ववृत्त और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलें वर्ष 2021 से संबंधित हैं और निकट भविष्य में अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना नहीं है, हम अपीलकर्ताओं की सजा को निलंबित करना उचित समझते हैं।

4. चूंकि पीड़ित भी सदमे में हो सकता है और निजी उत्तरदाताओं द्वारा दी गई राशि प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, इसलिए उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक सुधार आवेदन दायर किया। उपरोक्त आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि निजी उत्तरदाताओं द्वारा की गई पेशकश पीड़ित को स्वीकार्य नहीं थी, उत्तरदाताओं को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के पास राशि जमा करने का निर्देश दिया। दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

21.02.2024 के आदेश का प्रासंगिक भाग यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“आदेश दिनांक 12.12.2023 में सुधार की मांग इस हद तक की गई है कि आवेदकों ने पहले ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ की अदालत में डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया है, क्योंकि पीड़ित ड्राफ्ट स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आए हैं, अपीलकर्ता, जो जमानत मिल गई है, फिर भी न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं ने सीजेएम, मेरठ के समक्ष डिमांड ड्राफ्ट जमा करके अपने दायित्व का पालन किया है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

दिनांक 12.12.2023 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 11 में, हम इस हद तक संशोधित करते हैं कि अपीलकर्ताओं को पीड़ितों को डिमांड ड्राफ्ट सौंपने से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जैसा कि पहले आदेश दिया गया था।

आवेदन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा श्री पी.के. को भेज दी गई है। राय, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील श्री पी.के. मिश्रा, 04.01.2024 को अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील थे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान एजीए को अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 12.12.2023 को जमानत आदेश अन्य संबंधित आपराधिक अपील संख्या 996/2021, आपराधिक अपील संख्या 801/201, आपराधिक अपील संख्या 1155/2021 और आपराधिक अपील संख्या 467/2021 में पारित किया गया था।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्विवाद है कि डिमांड ड्राफ्ट सीजेएम, मेरठ को सौंप दिया गया है, अपीलकर्ताओं को जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता अदालत के समक्ष एक शपथ पत्र देंगे कि यदि पीड़ित बाद में उपस्थित होता है और धन जारी करने के लिए आवेदन करता है और इस बीच यदि ड्राफ्ट की वैधता समाप्त हो गई है, तो वे ड्राफ्ट को फिर से मान्य करेंगे और उसे सीजेएम की अदालत को सौंप देंगे, मेरठ।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, आदेश दिनांक 12.12.2023 को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

5. मेरे भाई सी.टी. द्वारा व्यक्त राय में विस्तृत चर्चा की गई है। जघन्य अपराधों के मामले में सजा के निलंबन के संदर्भ में रविकुमार, जे. में एसिड हमले के जघन्य अपराध में सजा को निलंबित करने के लिए पीड़िता को पैसे की पेशकश के मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, जहां पीड़िता 30 से 40% तक जल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, इलाज पर ₹ 21 लाख (केवल इक्कीस लाख रुपये) खर्च करने के बावजूद, वह अभी भी ठीक नहीं हुई है।

6. आपराधिक कानून में सजा के सिद्धांतों में से एक आनुपातिकता है। यदि उचित सजा नहीं दी जाती है या किसी जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, अदालत बिना किसी वैध कारण के सजा को निलंबित करने का निर्देश देती है, तो जिस उद्देश्य के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली मौजूद है वह विफल हो जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आदेश दिनांक 12.12.2023 पारित होने के बाद, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने पीड़ित को ₹ 25 लाख (केवल पच्चीस लाख रुपये) के भुगतान पर निजी उत्तरदाताओं की सजा को निलंबित करने का निर्देश दिया, राशि को स्वीकार नहीं किया गया। पीड़िता और दोषियों को जेल से रिहा नहीं किया जा सका . निजी उत्तरदाताओं द्वारा विवादित आदेश में सुधार के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। न्यायालय की दुर्बलता इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस विकास के बावजूद, उच्च न्यायालय ने 12.12.2023 के पहले के आदेश को संशोधित किया और नोट किया कि एक डिमांड ड्राफ्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ को सौंप दिया गया है, निजी उत्तरदाताओं को जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा किया गया। यह दर्ज किया गया था कि, यदि बाद में पीड़ित राशि जारी करने के लिए अदालत में उपस्थित होता है और डिमांड ड्राफ्ट की वैधता समाप्त हो जाती है, तो निजी उत्तरदाताओं को इसे पुनः मान्य करवाना होगा।

8. तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पीड़िता द्वारा पैसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उसने निजी उत्तरदाताओं की सजा के निलंबन के आदेश को चुनौती दी है।

9. यह अदालत लगातार बढ़ रहे एसिड हमलों के अपराध को गंभीरता से ले रही है। यहां तक कि एसिड की बिक्री को सख्त कार्रवाई के साथ नियंत्रित करने की भी बात है ताकि विकृत मानसिकता वाले लोगों को यह आसानी से उपलब्ध न हो सके। इस न्यायालय द्वारा परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ और अन्य 3 के पैराग्राफ 13 में की गई टिप्पणियाँ

उपयुक्त होने पर नीचे निकाला गया है:

“13. हमने देश भर में एसिड हमलों के कई मामले देखे हैं। ये हमले बड़े पैमाने पर इस कारण से हुए हैं कि एसिड की आपूर्ति और वितरण के लिए नियमों या नियंत्रण का कोई उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एसिड हमले के पीड़ितों को काम करने में कठिनाई के कारण घर पर बैठना पड़ता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि राज्य इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कई निर्देश देने के बाद भी एसिड के वितरण को गलत हाथों में जाने से रोकने में विफल रहा है। अब से, उचित प्राधिकरण के बिना एसिड की आपूर्ति करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एसिड के वितरण पर नियंत्रण रखने में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”

10. सुरेश चंद्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य 4 में, एसिड हमले के एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक आरोपी को बरी करने के फैसले को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एसिड हमले ने खुद को लिंग आधारित हिंसा में बदल दिया है। जो अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न होती है। उसका पैराग्राफ 30 नीचे दिया गया है:

“30. शुरुआत में, एसिड हमले पर कुछ पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है। आमतौर पर विट्रियोलेज या एसिड अटैक ने खुद को लिंग आधारित हिंसा के रूप में बदल लिया है। एसिड हमलों से न केवल पीड़ितों की शारीरिक बनावट को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उन्हें अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात भी पहुंचता है, जिससे उनके समग्र विकास में बाधा उत्पन्न होती है। हालाँकि हमने एसिड हमले की गंभीरता को स्वीकार किया है जब हमने 2013 में अपने कानूनों में संशोधन किया था [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का 13)।], फिर भी एसिड हमलों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा, यह न्यायालय बाजार में संश्लेषक पदार्थों की उपलब्धता को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न आदेश पारित कर रहा है जो इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का एक प्रयास है। [परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ, (2016) 3 एससीसी 571: (2016) 2 एससीसी (सीआरआई) 143] यह माना जाना चाहिए कि कड़े कानून और प्रवर्तन एजेंसियां पर्याप्त नहीं हो सकती हैं जब तक कि गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर नहीं किया जाता है। समाज।"

11. 19 साल की एक युवा लड़की पर एसिड हमले के संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम विजय कुमार उर्फ पप्पू और अन्य 5 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में देखा, कि पीड़िता 16% जल गई थी। और ऐसे पीड़ित को किसी भी मुआवजे के अनुदान से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। इसका अनुच्छेद 13 नीचे दिया गया है:

"13. वास्तव में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में पीड़िता को उत्तरदाताओं द्वारा किए गए एक असभ्य और हृदयहीन अपराध का सामना करना पड़ा है और इसमें नरमी के लिए कोई जगह नहीं है जिसकी कल्पना की जा सकती है। इस प्रकृति का अपराध किसी भी प्रकार की क्षमादान का पात्र नहीं है। यह अदालत इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं रह सकती कि पीड़िता को भावनात्मक कष्ट हुआ होगा, जिसकी भरपाई न तो आरोपी को सजा देकर या कोई मुआवजा देकर नहीं की जा सकती है।"

12. जिन परिस्थितियों में निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत रद्द की जा सकती है, उन्हें दीपक यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 6 में इस अदालत द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। प्रासंगिक पैराग्राफ 31 से 35 नीचे निकाले गए हैं:

"सी. जमानत रद्द करना

31. इस न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद, बिना इस पर विचार किए यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों ने आरोपी को रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है। सुनवाई के दौरान जमानत की। यह कहते हुए कि, जमानत रद्द करने के मामले में, जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं (जो पहले ही दी गई थी)।

32. दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य [दोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995) 1 SCC 349: 1995 SCC (Cri) 237] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत रद्द करने के लिए आधार निर्धारित किया है:

(i) देय राशि में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास

न्याय प्रशासन का क्रम;

(ii) न्याय की उचित प्रक्रिया से बचना या बचने का प्रयास करना;

(iii) अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी भी तरीके से;

(iv) अभियुक्त के फरार होने की संभावना;

(v) जमानत के वास्तविक दुरुपयोग की संभावना;

(vi) आरोपी द्वारा छेड़छाड़ की संभावना

सबूत या गवाहों को धमकाना।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जमानत रद्द करना पर्यवेक्षण परिस्थितियों की घटना तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के पास निश्चित रूप से पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अभाव में भी किसी आरोपी की जमानत रद्द करने की अंतर्निहित शक्तियाँ और विवेक हैं। निम्नलिखित उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ हैं जहाँ जमानत रद्द की जा सकती है:

33.1. जहाँ जमानत देने वाली अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करते हुए तुच्छ प्रकृति की नहीं बल्कि सारगर्भित प्रकृति की अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है।

33.2. जहाँ जमानत देने वाली अदालत दुर्यवहार के शिकार या गवाहों की तुलना में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति को नजरअंदाज करती है, खासकर तब जब प्रथम दृष्टया पीड़ित पर पद और शक्ति का दुरुपयोग होता है।

33.3. जहाँ जमानत देते समय आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।

33.4. जहाँ अस्थिर आधार पर जमानत दी गई है।

33.5. जहाँ जमानत देने के आदेश में गंभीर विसंगतियाँ पाई जाती हैं, जिससे न्याय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

33.6. जहाँ आरोपी के खिलाफ आरोपों की बहुत गंभीर प्रकृति को देखते हुए जमानत देना पहली बार में उचित नहीं था, जो उसे जमानत के लिए अयोग्य बनाता है और इस प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

33.7. जब जमानत देने का आदेश दिए गए मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से सनकी, मनमौजी और विकृत हो।

34. नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। [नीरू यादव बनाम यूपी राज्य, (2014) 16 एससीसी 508: (2015) 3 एससीसी (सीआरआई) 527], आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश [मिह्मन यादव बनाम यूपी राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन सभी 16031] के खिलाफ एक अपील में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने जमानत देने का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों पर उदाहरणों की जांच की और निम्नानुसार कहा: (एससीसी पी 513, पैरा 12)

“12. ... यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करना क्योंकि आरोपी ने खुद के साथ दुर्यवहार किया है या कुछ पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों के कारण ऐसा रद्द हुआ है, यह जमानत देने के आदेश की तुलना में पूरी तरह से एक अलग डिब्बे में है जो कि अनुचित, अवैध और विकृत. यदि किसी मामले में, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था, उन पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

ध्यान नहीं दिया गया है या यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से वरिष्ठ न्यायालय ऐसे अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है। जमानत। ऐसा मामला अलग श्रेणी का है और अलग दायरे में है। दूसरी प्रकृति के मामले से निपटते समय, अदालत आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन या उसके बाद होने वाली निगरानी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती है। इसके विपरीत, यह अदालत द्वारा पारित आदेश की औचित्यता और सुदृढ़ता पर प्रकाश डालता है।"

35. This Court in Mahipal [Mahipal v. Rajesh Kumar, (2020) 2 SCC 118 : (2020) 1 SCC (Cri) 558] held that : (SCC p. 126, para 17)

"17. जहां जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, तो अपीलीय अदालत जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकती है। इस प्रकार एक अपीलीय अदालत को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने का आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया है या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से सामने नहीं आया है। इस प्रकार इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या, साक्ष्य संबंधी रिकॉर्ड के आधार पर, यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद था कि अभियुक्त ने अपराध किया था, साथ ही अपराध की गंभीरता और अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाए। सजा।"

13. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया जाता है। विशेष रूप से सुधार आवेदन में पारित आदेश दिनांक 21.02.2024। आदेश यह नहीं सुझाता कि जमानत देने या सजा निलंबित करने के लिए इस अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों पर कोई विचार किया गया था। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने देखा और निर्देश दिया कि दोषियों ने सजा को निलंबित करने के लिए पीड़िता को मुआवजा देने की पेशकश की थी, जिसे लेने से इनकार करने पर उसे अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह एक तरह से दोषियों द्वारा पीड़ित को दी जाने वाली "ब्लड मनी" थी जिसके लिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्वीकार्यता नहीं है।

14. इस न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 7 में अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मुद्दे से निपटते हुए कहा कि भले ही किसी जघन्य अपराध में समझौते या मुआवजे के भुगतान की वकालत की गई हो, फिर भी इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अपराध ऐसे कार्य हैं जिनका जनता और सामान्य तौर पर समाज की भलाई पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पीड़ित के साथ समझौते की दलील पर अपराध करने वाले को छोड़ना सुरक्षित नहीं है। उसका प्रासंगिक अनुच्छेद 58 नीचे दिया गया है:

"58. जहां उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद सुलझा लिया गया है, हालांकि अपराध समझौता योग्य नहीं हैं, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना एक अभ्यास होगा निरर्थकता में और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद समाप्त हो और शांति बहाल हो; न्याय के अंत को सुरक्षित करना ही अंतिम मार्गदर्शक कारक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, अपराध वे कार्य हैं जिनका जनता पर हानिकारक प्रभाव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पड़ता है और इसमें ऐसे गलत कार्य शामिल होते हैं जो समाज की भलाई को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं और खतरे में डालते हैं और अपराध करने वाले को केवल इसलिए छोड़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने और पीड़ित ने विवाद सुलझा लिया है। सौहार्दपूर्ण ढंग से या कि पीड़ित को मुआवजा दिया गया है, फिर भी कुछ अपराधों को अदालत की अनुमति के साथ या उसके बिना, कानून में समझौता योग्य बना दिया गया है। हत्या, बलात्कार, डकैती, आदि जैसे गंभीर अपराधों या आईपीसी के तहत मानसिक विकृति के अन्य अपराधों या विशेष कानूनों के तहत नैतिक अधमता के अपराधों, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में। , अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते को कोई कानूनी मंजूरी नहीं मिल सकती है। हालाँकि, कुछ अपराध जो नागरिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन से उत्पन्न हुए हैं या विवाह से उत्पन्न अपराध, विशेष रूप से दहेज आदि या पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं, जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक स्वाद है, जहां गलत मूल रूप से पीड़ित और अपराधी के साथ होता है और पीड़ित ने अपने बीच के सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे अपराधों को समझौता योग्य नहीं बनाया गया है, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के ढांचे के भीतर, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है या आपराधिक शिकायत या एफआईआर यदि वह संतुष्ट है कि इस तरह के समझौते के चेहरे पर, अपराधी को दोषी ठहराए जाने की शायद ही कोई संभावना है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करने से, न्याय हताहत हो जाएगा और न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई निश्चित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती।

15. झारखंड राज्य बनाम मोहम्मद सुफियान 8 में, झारखंड उच्च न्यायालय ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने की शर्त के रूप में पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में कुछ राशि अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। यह आईपीसी, POCSO अधिनियम और आईटी के तहत किए गए विभिन्न अपराधों का मामला था। कार्यवाही करना। उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश की इस न्यायालय ने निंदा की थी। यह राय दी गई कि आरोपी की पीड़िता को मुआवजा देने की इच्छा अग्रिम जमानत देने का कारण नहीं हो सकती। उसका पैरा 6 नीचे दिया गया है:

“6. जिन कारकों पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है, वे इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हैं। ऐसे कारकों की चर्चा तो दूर, इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अग्रिम जमानत किस आधार पर दी जा रही है, इस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया। केवल इसलिए कि आरोपी अंतरिम मुआवजे के रूप में कुछ राशि का भुगतान करने को तैयार है, अग्रिम जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है।”

16. इसी तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा साहब आलम उर्फ गुड्डू बनाम झारखंड राज्य और अन्य 9 में व्यक्त किया गया था। उसके पैरा 2 और 8 नीचे दिए गए हैं:

“2. हमारे सामने दहेज से लेकर धारा 420 आईपीसी से लेकर धारा 376, आईपीसी और POCSO अधिनियम तक विभिन्न प्रकृति के अपराधों से संबंधित याचिकाओं का एक समूह है। इन सभी मामलों में सामान्य पहलू यह है कि उच्च न्यायालय के एक विशेष विद्वान न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति पर निर्भर जमानत की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना पर्याप्त धनराशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यदि कोई व्यक्ति पैसे जमा करने में सक्षम है या भुगतान करने की उसकी क्षमता है तो जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसा ही हुआ लगता है। चूंकि कोई उचित विचार नहीं किया गया है, इसलिए हमारे लिए यह विश्लेषण करना भी मुश्किल है कि जमानत देते समय विद्वान न्यायाधीश ने क्या विचार किया और यह निश्चित रूप से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह जमानत की पहली या दूसरी अदालत हो।

8. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि धर्मेश बनाम गुजरात राज्य (2021) 7 एससीसी 198 में हमारे फैसले के मद्देनजर पीड़ित मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जमानत देने के चरण में ऐसा कोई मानदंड नहीं हो सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।